

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी आक्षेप- पार्ट-2/21357/2024/204 दिनांक:- 11/6/2024
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक।

विषय:- स्व0श्री मोहनसिंह मीणा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, के 18 व 27 वर्षीय एसीपी आदेशों में संशोधन बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 288 दिनांक 12.04.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्व0श्री मोहनसिंह मीणा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, के 18 व 27 वर्षीय एसीपी आदेशों में संशोधन बाबत प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये गये हैं का परीक्षणोपरान्त वित्तीय सलाहकार मुख्यालय की राय अनुसार कार्मिक की तृतीय एसीपी दिनांक 02.07.2017 को स्वीकृत की गई है जो कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुसार 02.07.2017 के स्थान पर 18.12.2020 से संशोधित की जानी है तथा भिजवाये गये प्रस्ताव के साथ अन्तर राशि की वसूली नहीं की गई है के अभाव में प्रकरण में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव मूल ही लौटाया जाकर लेख है कि पुनःप्रस्ताव संशोधित कर कार्यालय/जोन में पदस्थापित लेखाकर्मों से जाँच उपरान्त लेखाकर्मों की टिप्पणी सहित सेवापुस्तिका में इन्द्राज कर सत्यापित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियां संलग्न भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी आक्षेप- पार्ट-2/21357/2024/204 दिनांक:- 11/6/2024

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है की पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. रक्षित/गार्ड पत्रावली

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7776343

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-06-2024 04:01:21